



केंद्रीय सतर्कता आयोग

Last Updated: July 2022

केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission-CVC) एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा **केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की नगिरानी** करता है साथ ही केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने एवं सुधार करने के संबंध में सलाह देता है।

सतर्कता (Vigilance) का अर्थ है विशेष रूप से कर्मियों और सामान्य रूप से संस्थानों की दक्षता एवं प्रभावशीलता की प्राप्ति के लिये स्वच्छ तथा त्वरति प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करना, क्योंकि सतर्कता का अभाव अपव्यय, हानि और आर्थिक पतन का कारण बनता है।

CVC को सरकार द्वारा फरवरी, 1964 में **के. संस्थान की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति** (Committee on Prevention of Corruption) की सफारिशों पर स्थापित किया गया था। संसद द्वारा अधिनियमित **केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003** द्वारा इसे **सांविधिक दर्जा** प्रदान किया गया।

CVC किसी भी मंत्रालय/विभाग के अधीन नहीं है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो **केवल संसद के प्रति उत्तरदायी** है।

कार्य

- CVC भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सुनता है और इस दशा में **उपयुक्त कार्रवाई की सफारिश** करता है। नमिनलखिति संस्थाएँ, निकाय या व्यक्ति CVC के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
 - केंद्र सरकार
 - लोकपाल
 - सूचना प्रदाता/मुखबरी/सचेतक (Whistle Blower)
 - सूचना प्रदाता/मुखबरी/सचेतक किसी कंपनी या सरकारी एजेंसी का कर्मचारी या कोई बाहरी व्यक्ति (जैसे मीडिया या पुलिस सेवा से संबद्ध या कोई उच्च सरकारी अधिकारी) हो सकता है जो धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि रूपों में किसी भ्रष्ट कृत्य को सार्वजनिक करता है या इसकी सूचना किसी उच्च प्राधिकारी/प्राधिकरण को देता है।
- **केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है।** यह या तो CBI के माध्यम से या सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (Chief Vigilance Officers- CVO) के माध्यम से मामले की जाँच/अन्वेषण कराता है।
- यह लोकसेवकों की कुछ श्रेणियों द्वारा **भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (Prevention of Corruption Act), 1988** के तहत किये गए **भ्रष्टाचारों की जाँच** कराने की शक्ति रखता है।
- इसकी **वार्षिक रिपोर्ट** आयोग द्वारा किये गए कार्यों का वविरण देती है और उन प्रणालीगत वफिलताओं को इंगति करती है जिनके परिणामस्वरूप सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार होता है।
 - रिपोर्ट में **सुधार और नविकरक उपाय** (Improvements and Preventive Measures) भी सुझाए जाते हैं।

पृष्ठभूमि

- भारत सरकार द्वारा **वर्ष 1941 में विशेष पुलिस स्थापन** (Special Police Establishment- SPE) का गठन किया गया था।
 - उस समय SPE का कार्य **द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के युद्ध और आपूर्ति विभाग** (War & Supply Department of India) के साथ **लेन-देन में रशिवत तथा भ्रष्टाचार** के मामलों का अन्वेषण करना था।
 - युद्ध की समाप्ति के बाद भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा रशिवत और भ्रष्टाचार के मामलों के अन्वेषण के लिये एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई।
 - इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम (Delhi Special Police Establishment Act- DSPE), 1946** लागू किया गया।
- इस अधिनियम की घोषणा के बाद **SPE के अधीक्षक को गृह विभाग में स्थानांतरित** कर दिया गया और भारत सरकार के सभी विभागों को दायरे में लाने के लिये इसके कार्यक्षेत्र का वसितार किया गया।
 - SPE के **अधिकार क्षेत्र का वसितार सभी केंद्रशासित प्रदेशों के पर** किया गया और अधिनियम द्वारा यह उपबंध भी किया गया

काराज्य सरकार की सहमति से इसके कार्यक्षेत्र का वसितार राज्यों के पर भी होगा ।

- वर्ष 1963 तक SPE को भ्रष्टाचार नरोधक अधनियम, 1947 के तहत कथि गए अपराधों के साथ ही भारतीय दंड संहति (Indian Penal Code- IPC) की 91 भनन धाराओं और 16 अन्य केंद्रीय अधनियमों तहत कथि गए अपराधों का अन्वेषण कराने के लयि अधकृत कर दया गया था ।
- केंद्र सरकार के सतर पर एक केंद्रीय पुलसि एजेंसी की बढ़ती आवश्यकता महसूस की गई जो न केवल रशिवत और भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच कर सके, बलकन नमिनलखिति वषिय भी उसकी जाँच के दायरे में हों:
- केंद्रीय राजकोषीय कानूनों का उल्लंघन
- भारत सरकार के वभिगों से संबंधति बड़ी धोखाधड़ी
- सार्वजनकि संयुक्त स्टॉक कंपनयिँ
- पासपोर्ट धोखाधड़ी
- समुद्र में होने वाले अपराध
- हवाई जहाजों में होने वाले अपराध
- संगठति अपराधी गुटों और पेशेवर अपराधयिँ द्वारा कथि गए गंभीर अपराध
- भ्रष्टाचार नवारण वषिय पर गठति संथानम समति की सफिरशियों पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI) की स्थापना 1 अप्रैल, 1963 को गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी ।
 - बाद में इसे कार्मकि मंत्रालय में स्थानांतरति कर दया गया और अब इसे संलग्न कार्यालय का दर्जा प्राप्त है ।
- वर्ष 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार नरोधक समति (Committee on Prevention of Corruption) की सफिरशियों पर सरकार द्वारा CVC की स्थापना की गई थी जसिका कार्य सतरकता के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना और उसका मार्गदर्शन करना है ।
- वनीत नारायण एवं अन्य बनाम भारत संघ (1997) नरिणय में सर्वोच्च न्यायालय ने CVC की अग्रणी भूमिका के बारे में नरिदेश जारी कथि ।
 - इस नरिणय में न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की भूमिका की आलोचना करते हुए यह नरिदेश दया था क CVC को CBI के ऊपर एक पर्यवेक्षी भूमिका सौपी जानी चाहति ।
- केंद्र सरकार वर्ष 1998 में एक अध्यादेश लेकर आई जसिमें CVC को सांवधिकि दर्जा दया गया और उसे दलिली वषिय पुलसि स्थापन के कार्यकलाप के अधीक्षण की शकृता दी गई । इसके साथ ही उसे भ्रष्टाचार नवारण अधनियम, 1988 के तहत हुए अपराधों के मामले में अन्वेषण की प्रगति की समीक्षा करने की शकृता भी दी गई ।
- बाद में वर्ष 2003 में केंद्रीय सतरकता आयोग अधनियम (The Central Vigilance Commission Act) लाकर आयोग के सांवधिकि दर्जे की पुष्टिकर दी गई ।
 - CVC अधनियम, 2003 के अधनियमति होने के बाद आयोग एक बहु सदस्यीय नकिय बन गया जसिमें एक केंद्रीय सतरकता आयुक्त (अध्यक्ष) और अधकितम दो सतरकता आयुक्त (सदस्य) शामिल हैं । इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नयुक्त कथि जाता है ।
- वर्ष 2003 में एक मुखबरि/सचेतक शरी सत्येंद्र दुबे की हत्या पर दायर रटि याचकि की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने नरिदेश दया कि जब तक एक वधिन का नरिमाण नहीं कर लया जाता तब तक के लयि मुखबरिों की सूचना पर कार्रवाई हेतु एक तंतर का नरिमाण कथि जाए ।
 - इस संकल्प को लोकप्रयि रूप से 'व्हिसिल ब्लोअर्स रेजोल्यूशन' (Whistle Blowers Resolution) के रूप में जाना जाता है । इसने भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के संबंध में कोई भी आरोप या शकियत प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई करने वाली एजेंसी के रूप में केंद्रीय सतरकता आयोग को नामति कथि है ।
 - PIDPI संकल्प के तहत शकियत दर्ज कराते समय शकियतकर्त्ता की पहचान गुप्त रखने की जमिमेदारी आयोग को सौपी गई है ताकि सूचना प्रदाता को कसि भी प्रकार के उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान की जा सके ।
 - इस नरिदेश का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने सार्वजनकि हति प्रकटीकरण और सूचना प्रदाता संरक्षण संकल्प (Public Interest Disclosure and Protection of Informers Resolution- PIDPI), 2004 को अधसूचति कथि:
- सार्वजनकि हति प्रकटीकरण और सूचना प्रदाता संरक्षण (Public Interest Disclosure and Protection to Person Making the Disclosures- PIDPPMD) वधियक 2010 का नाम बदलकर सूचना प्रदाता संरक्षण वधियक/व्हिसिल ब्लोअर्स संरक्षण वधियक (Whistle Blowers' Protection Bill), 2011 कथि गया और संसद से पारति होने के बाद इसे सूचना प्रदाता संरक्षण अधनियम, 2014 (Whistle Blowers' Protection Act, 2014) के रूप में लागू कथि गया ।
- बाद के अन्य अध्यादेशों और वधिनों के माध्यम से सरकार ने आयोग के कार्यों और शकृतयिँ में वृद्धिकि है ।
- वर्ष 2013 में संसद ने लोकपाल एवं लोकायुक्त अधनियम (Lokpal and Lokayuktas Act), 2013 को अधनियमति कथि ।
 - इस अधनियम ने CVC अधनियम, 2003 में संशोधन कथि जसिके तहत आयोग को लोकपाल द्वारा संदर्भति शकियतों की प्रारंभकि पूछताछ और आगे के अन्वेषण का अधिकार दया गया है ।
- CVC अधनियम और लोकपाल एवं लोकायुक्त अधनियम के बीच कषेत्राधिकार के अधवियापी/ओवरलैप होने के मुद्दे पर लोकपाल एवं लोकायुक्त तथा अन्य संबंधी वधि(संशोधन) वधियक, 2014 के परीक्षण के दौरान आयोग ने कार्मकि, लोक शकियत, वधि और न्याय संबंधी समति (स्थायी समति) को अपने सुझावों से अवगत कराया था ।

प्रशासन

- केंद्रीय सतरकता आयोग के पास स्वयं का सचवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक खंड (CTE) और वभिगीय जाँच आयुक्त खंड (CDI) है । अन्वेषण कार्य के लयि CVC को दो बाहरी स्रोतों, CBI और मुख्य सतरकता अधिकारयिँ (CVO) पर नरिभर रहना पड़ता है ।

संरचना

- इस बहु-सदस्यीय आयोग में एक केंद्रीय सतरकता आयुक्त (अध्यक्ष) और अधकितम दो सतरकता आयुक्त (सदस्य) शामिल होते हैं ।

- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सफारिश पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री (सदस्य) और लोकसभा में वपिकष के नेता (सदस्य) शामिल होते हैं।
- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तथि से चार वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो होता है।

सचवालय

- CVC के सचवालय में अपर सचवि स्तर का एक सचवि, संयुक्त सचवि स्तर के चार अधिकारी, नदिशक/उप सचवि स्तर के तीस अधिकारी (दो वशिष कार्य अधिकारियों सहति), चार अवर सचवि और कार्यालय कर्मचारी शामिल होते हैं।

मुख्य तकनीकी परीकषक संगठन

(Chief Technical Examiners' Organisation- CTEO)

- मुख्य तकनीकी परीकषक संगठन केंद्रीय सतर्कता आयोग का तकनीकी खंड है और इसमें मुख्य इंजीनयिर स्तर के दो इंजीनयिर (मुख्य तकनीकी परीकषक के रूप में पदनामति) तथा सहायक इंजीनयिरगि कर्मि शामिल हैं। इस खंड को सौंपे गए मुख्य कार्य हैं:
 - सरकारी संगठनों के नरिमाण कार्यों का सतर्कता के दृष्टिकोण से तकनीकी अंककषण करना
 - नरिमाण कार्यों से संबंधति शकियातों के वशिषिट मामलों का अन्वेषण करना
 - तकनीकी मामलों से संबद्ध अन्वेषणों और दलिली में संपत्तियों का मूल्यांकन करने में CBI की सहायता करना
 - तकनीकी मामलों से संबद्ध सतर्कता मामलों में आयोग और मुख्य सतर्कता अधिकारियों को सलाह व सहायता देना।
- वर्ष 2017 के दौरान CTEO ने 52 संगठनों को दायरे में लेते हुए 66 खरीद मामलों का गहन परीकषण कया। कुछ संगठन जहाँ गहन परीकषण कये गए उनमें शामिल हैं:
 - सड़क परविहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRT&H)
 - केंद्रीय लोक नरिमाण वभिग (CPWD)
 - अखलि भारतीय आयुर्वजिज्ञान संस्थान (AIIMS)
 - कर्मचारी राज्य बीमा नगिम (ESIC)
 - पंजाब केंद्रीय वशिषवदियालय (PCU)
 - भारतीय वमिनपत्तन प्राधकिरण (AAI)
 - उत्तरी दलिली नगर नगिम (NDMC)
 - तेल एवं प्राकृतकि गैस नगिम (ONGC)
 - बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB)

वभिगीय जाँच आयुक्त

(Commissioners for Departmental Inquiries- CDIs)

- आयोग में वभिगीय जाँच आयुक्त के कुल 14 पद हैं जिसमें से 11 नदिशक स्तर के पद हैं और 3 उपसचवि स्तर के पद हैं।
- CDIs लोकसेवकों के वरिद्ध शुरु की गई वभिगीय कार्यवाही में मौखकि पूछताछ के लये पूछताछ अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं।

इंटीग्रटी इंडेक्स डेवलपमेंट

(Integrity Index Development- IID)

- IID सार्वजनकि संगठनों के पारदर्शी, उत्तरदायी और कुशल शासन को दर्शाता है।
- CVC ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद को एक अनुसंधान-आधारति दृष्टिकोण अपनाते हुए एक इंटीग्रटी इंडेक्स के नरिमाण का कार्य सौंपा है। इसका उपयोग वभिनिन संगठन स्वयं के मूल्यांकन के लये करेंगे और बदलती आवश्यकताओं के साथ इसका वकिस होता जाएगा।

बाह्य एजेंसियों के माध्यम से CVC का अन्वेषण

- CVC के पास स्वयं की अन्वेषण शाखा नहीं है और यह अन्वेषण के लये CBI और CVO पर नरिभर है, जबकि CBI के पास स्वयं की अन्वेषण शाखा है जो दलिली वशिष पुलसि स्थापन (SPE) अधनियिम से अपनी शक्तियों प्राप्त करती है।

मुख्य सतर्कता अधिकारी (Chief Vigilance Officers- CVOs)

- वभिगों/संगठनों में सतर्कता प्रशासन का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा कया जाता है और आयोग की जाँच संबंधी गतिविधियाँ इनके द्वारा या इनके सहयोग से आगे बढ़ती हैं।

- आयोग को प्राप्त शिकायतों की गहनता से जाँच की जाती है और जो भी सतर्कता प्रकृत के वशिष्ट और सत्यापन योग्य आरोप होते हैं, उन्हें त्वरित व कुशल जाँच/अन्वेषण तथा आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिये CVO/CBI को अग्रसारित कर दिया जाता है।
- सभी विभागों/संगठनों में CVO की नियुक्ति आयोग से पूर्व-परामर्श के बाद की जाती है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(Central Bureau of Investigation- CBI)

- यह भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 से संबंधित मामलों में CVC की समग्र नगिरानी में काम करती है।
 - भ्रष्टाचार की रोकथाम और प्रशासन में ईमानदारी बनाए रखने में CBI महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- CVC अधिनियम CBI नदिशक के लिये दो वर्ष के निश्चित कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करता है।
- CBI के नदिशक और SP रैंक एवं उससे ऊपर के अन्य अधिकारियों के चयन के लिये स्थापित समिति का अध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है।

CVC का अधिकार क्षेत्र

केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003

केंद्र सरकार, किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत गठित नगिम, सरकारी कंपनियों, केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में संचालित सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरण में कार्यरत लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के अंतर्गत किये गए अपराधों के मामले में आयोग को जाँच का अधिकार प्राप्त है। लोक सेवकों की ये श्रेणियाँ हैं:

- अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य जो संघ के विषय क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं और केंद्र सरकार के समूह 'A' के अधिकारी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में श्रेणी-V तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारी।
- भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा सडिबी में ग्रेड 'D' तथा इससे उच्च स्तर के अधिकारी।
- अनुसूची 'A' तथा 'B' सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक, कार्यपालक मण्डल तथा E-8 एवं इससे उच्च स्तर के अन्य अधिकारी।
- अनुसूची 'C' तथा 'D' सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक, कार्यपालक मण्डल तथा E-7 एवं इससे ऊपर के अन्य अधिकारी।
- सामान्य बीमा कंपनियों में प्रबंधक एवं इससे ऊपर के अधिकारी।
- जीवन बीमा नगिमों में वरिष्ठ मण्डलीय प्रबंधक एवं इससे ऊपर के अधिकारी।
- समितियों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों में अधिसूचना की तिथि को तथा समय-समय पर यथासंशोधित अनुरूप केंद्र सरकारडी.ए. प्रतमान पर 8700/- रुपये प्रतमाह तथा इससे ऊपर वेतन पाने वाले अधिकारी।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया है जिसके तहत आयोग को समूह 'B', 'C' और 'D' के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में लोकपाल द्वारा भेजी गई शिकायतों की प्रारंभिक जाँच करने का अधिकार दिया गया है।
 - समूह 'A' अधिकारियों के संबंध में प्रारंभिक जाँच हेतु आयोग में एक जाँच नदिशालय स्थापित करना होगा।
- समूह 'A' और 'B' अधिकारियों के संबंध में लोकपाल द्वारा संदर्भित ऐसे मामलों में प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट आयोग द्वारा लोकपाल को भेजना आवश्यक है।
- आयोग को यह अधिदेश भी है कि समूह 'C' और 'D' के अधिकारियों के संबंध में ऐसे लोकपाल संदर्भों में आगे की जाँच (प्रारंभिक जाँच के बाद) कराए तथा उनके वरिद्ध आगे की जाने वाली कार्रवाई का नरिणय करे।

सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014

(The Whistleblowers Protection Act, 2014)

- यह अधिनियम आयोग को नमिनलखित मामलों में सक्रम प्राधिकार के रूप में सशक्त बनाता है:
 - किसी लोक सेवक के वरिद्ध भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन पर या जानबूझकर शक्ति के दुरुपयोग अथवा जानबूझकर वविकाधिकार के दुरुपयोग के प्रकटन से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करना तथा ऐसे प्रकटन की जाँच करना या कराना।
 - ऐसे शिकायत करने वाले व्यक्ति को उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना।

CVC के संबंध में नवीनतम सुधार:

- April 2021 में केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission- CVC) द्वारा सरकारी संगठनों की सतर्कता इकाइयों में अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित दिशा-नरिदेशों को संशोधित करते हुए अधिकारियों के कार्यकाल को किसी एक स्थान पर तीन वर्ष

तक सीमति कर दिया ।

- नचिले स्तर के अधिकारियों सहति सतरकता इकाई में कर्मियों का कार्यकाल एक स्थान पर केवल तीन वर्ष तक सीमति होना चाहिये ।
- हालाँकि किसी अन्य स्थान पर पोस्टिंग के साथ कार्यकाल को तीन वर्षों तक और बढ़ाया जा सकता है ।
 - जनि कर्मचारियों/कार्मकों द्वारा एक ही स्थान पर सतरकता इकाइयों में पाँच वर्ष से अधिक समय पूरा कर लिया है उन्हें सर्वोच्च प्राथमकिता के आधार पर स्थानांतरति कथिा जाना चाहिये ।
- किसी एक संगठन की सतरकता इकाई से स्थानांतरण के बाद एक व्यक्तिको पुनः स्थानांतरति करने से पूर्व कम-से-कम तीन वर्ष की अवधिका अनविार्य कार्यकाल दिया जाएगा ।

CVC की सीमाएँ

- CVC को प्रायः एक शक्तिहीन एजेंसी माना जाता है क्योंकि इसे महज एक **सलाहकार निकाय** के रूप में देखा जाता है जिसके पास सरकारी अधिकारियों के वरिद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने की शक्ति नहीं है, न ही इसके पास संयुक्त सचवि और उससे ऊपर के अधिकारियों के वरिद्ध जाँच के लिये CBI को नरिदेश देने की शक्ति है ।
- यद्यपि CVC अपने कार्यकलाप में "अपेक्षाकृत स्वतंत्र" है, लेकिन उसके पास न तो संसाधन हैं और न ही भ्रष्टाचार की शकियतों पर कार्रवाई करने की शक्ति है ।

नषिकर्ष

नकिट अतीत भारत एक प्रगतशील और जीवंत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है । अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में तेज़ी से विकास के साथ देश की अवसंरचना, नरिमाण क्षेत्र, खुदरा क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में भारी नविश कथिा गया है । अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि के साथ भ्रष्टाचार के खतरे में भी वृद्धि हुई है जिसके वरिद्ध संघर्ष के लिये CVC के समक्ष चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं । इस परदृश्य में CVC की प्रणालीगत कमियों को दूर करना समय की बड़ी आवश्यकता है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/central-vigilance-commission-cvc>

